

13/12/24

पत्तावली पेरा दूर। अधिकता उच्च पक्षकारान रूप
पक्षकारान अनुपास्मित। रुक-रुक कर नीम-बाद कावापे
मिलताई गई। क्षम्य सोल 5PM से चला है। कतः अधिकता
उच्च पक्षकारान रूप पक्षकारान के अनुपास्मित रहने पर
वादी का वाद एवं प्रतिवादी का प्रतिवाद कानून दायरी व
अदालत पंजी में खारिज किया जाता है। पत्तावली प्रकृत
सुधार होकर जल्द से जल्द हो।

निर्णय सुते रिजनाल सुगला वना।

